

संचालनालय पशुपालन
कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक...८६५१.../स्था.ब/ए.व्ही.एफ.ओ./स्थानान्तरण/2019

भोपाल, दिनांक...२५.०६.२०१९

// आदेश //


मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 में निहित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्र.-4 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाता है-

क्र	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	4	5
1	श्री सुघर सिंह माथुर	संभागीय पशु.चिकि. ग्वालियर	पशु चिकित्सालय उटीला जिला-ग्वालियर	प्रशा.
2	डॉ. हरीश शर्मा	शा. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन जिला ग्वालियर	पशु औषधालय कुकडीपाडा, जिला झाबुआ किये गये स्थानान्तरण मे संशोधन कर प.चि. रिठौराकला जिला मुरैना	प्रशा.
3	श्री जे.पी.बंसल	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र मुरैना	पशु चिकित्सालय मगरौनी जिला- शिवपुरी	प्रशा.
4	डॉ.ललित साहू	प.चि.अनूपपुर अनूपपुर	प.चि.जैतहरी जिला- अनूपपुर	प्रशा.
5	श्री विवेक सिंह सिकरवार	माता महामारी ग्वालियर	पशु चिकि. शुक्लहारी जिला- ग्वालियर	प्रशा.
6	श्री विजय बहादुर नागौरी	पशु औषधालय उमठ जिला- इंदौर	गौअभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया जिला आगरमालवा	प्रशा.
7	श्री असीम श्रीवास्तव	पशु औषधालय मौलाना जिला-उज्जैन	गौअभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया जिला आगर मालवा	प्रशा.
8	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र घरसासेधी जिला ग्वालियर	पशु चिकित्सालय लालबर्बा बालाघाट	प्रशा.
9	श्री राकेश सिंह जाटव	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पडोरा जिला शिवपुरी	पूर्व में भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पडोरा शिवपुरी किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुए पशु महामारी इकाई गुना जिला गुना	प्रशा.
10	श्री एस. जयदेवन नायर	पशु चिकित्सालय लालबर्बा, जि.बालाघाट	पशु चिकि. पनागर जिला जबलपुर	प्रशा.

10

क्र	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं/ प्रशा.
11	श्री मयंक सक्सेना	पशु चिकित्सालय ग्यारसपुर जिला विदिशा	पूर्व में प.चि. पिपलानी किया गया स्थानान्तरण संशोधित करते हुए पशु चिकित्सालय रातीबड जिला भोपाल	प्रशा.
12	विशाल वर्मा	पशु स्वस्थय केन्द्र भैसना जिला- राजगढ	पशु चिकि.सतनवाडा जिला-शिवपुरी	प्रशा.


टीप:- स्थानान्तरित कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04.06.19 की कण्डिका-14, 15, 15(1) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि दो सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण क्रियान्वित होना माना जावेगा, एवं कण्डिका-16 अनुसार स्थानान्तरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा।


 (डॉ.आर.के.रोकडे)
 संचालक
 पशुपालन म.प्र.
 भोपाल

पृ.क्रमांक... 56427 स्था.ब/ए.व्ही.एफ.ओ./स्थानान्तरण/2019 भोपाल, दिनांक 25-06-2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी पशुपालन विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग/जिला..... म.प्र.।
4. एम.आई.एस. शाखा संचालनालय की ओर अग्रेषित कर लेख कि उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल psgad@mp.gov.in पर प्रेषित करना सुश्चित करें।
5. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग/जिला..... म.प्र.।


 संचालक
 पशुपालन म.प्र.
 भोपाल